न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/34/2016	16–09–2016	10–10–2019

01– किशन लाल सैनी पुत्र स्व0 गिर्राज प्रसाद सैनी जाति माली (मृतक)

1/1 रतनलाल पुत्र श्री किशन लाल सैनी जाति माली निवासी ग्राम बिचगावां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

1/2 शेरसिंह पुत्र श्री किशन लाल सैनी जाति माली निवासी ग्राम बिचगावां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

1/3 भरती पुत्र श्री किशन लाल सैनी जाति माली निवासी ग्राम बिचगावां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

1/4 मु. रामो बेवा किशन लाल सैनी जाति माली निवासी ग्राम बिचगावां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

1/5 कैलाशी पुत्री किशन लाल सैनी जाति माली निवासी ग्राम बिचगावां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर हाल निवासी पीपखेड़ा तहसील कठूमर।

1/6 पूनम पुत्री किशन लाल सैनी जाति माली निवासी ग्राम बिचगावां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर हाल निवासी पीपखेड़ा तहसील कठूमर।

1/7 गुड्डी पुत्री किशन लाल सैनी जाति माली निवासी ग्राम बिचगावां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर हाल निवासी दोया, हरियाणा।

1/8 उर्मिला पुत्री किशन लाल सैनी जाति माली निवासी ग्राम बिचगावां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर हाल निवासी दोया, हरियाणा।

–अपीलांटान्

बनाम

01– तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर

–रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ दिनांक 07.09.2016 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 07/2016

उपस्थितः–

01–श्री महावीर सैनी –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के आदेश दिनांक 07.09.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम बिचगावां की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1359/385 रकबा 9.12 बीघा में से 02.15 बीघा पर अवैध कब्जा करने पर की गई बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बिचगावां की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1359/385 रकबा 9.12 बीघा में से 02.15 बीघा पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 08.08.2016 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने बेदखली व लगान से दण्डित किया। विवादित आराजी से संबंधित अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के यहां विचाराधीन है। माननीय न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 13.07.2016 को निर्णय पारित कर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई थी कि इस पत्रावली को पूर्व की रिमांड पत्रावली सं0 51/2014 के साथ संलग्न कर पुनः निर्णय पारित करें। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की पालना किये बिना अपीलांट्स को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली–

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

P.T.O.

व पैनल्टी से आरोपित किया गया है। अतः अपीलार्थी को बेदखली व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 19.09.2016 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण होना बताया है। चूंकि प्रकरण मान0 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां विचाराधीन है। जिसमें अपीलांटान के अधिकारों का विनिश्चय होना है। अतः अपील अपीलान्टान् स्वीकार की जाकर तहसीलदार लक्ष्मणगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मान0 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा किये जाने वाले अंतिम निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10–10–2019 को अद्योहस्ताक्षरर्ता लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)